

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर चांपा (छ0ग0)

:: विविध आदेश ::

क्रमांक Q /दो-12-45/07,

जांजगीर चांपा, दिनांक 14/12/2018

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों हेतु वर्ष 2018 के लिये दिनांक 19.12.2018 से 31.12.2018 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है।

अतः इस न्यायिक जिला स्थापना में कार्यरत निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम नं. 3 में दर्शाये अनुसार शीतकालीन अवकाश एवं कॉलम नं. 5 में दर्शाये अनुसार मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है :-

क्र	अधिकारी का नाम	ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि	दिनों की संख्या	मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि
1	2	3	4	5
1	संघरत्ना भतपहरी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर	29.12.2018 से 31.12.2018 तक	3 दिन	29.12.2018 से 01.01.2019 के कार्यालयीन समय पूर्व तक।
2	श्री संतोष कुमार आदित्य, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सक्ती	26.12.2018 से 28.12.2018 तक	3 दिन	25.12.2018 से 29.12.2018 के कार्यालयीन समय पूर्व तक।
3	श्रीमती वंदना दीपक देवांगन, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सक्ती	19.12.2018 से 24.12.2018 तक	6 दिन	19.12.2018 से 24.12.2018 तक।
4	उदयलक्ष्मी सिंह परमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जांजगीर	19.12.2018 से 28.12.2018 तक	10 दिन	18.12.2018 से 28.12.2018 तक।
5	श्री अमित जिंदल, द्वितीय व्यवहार न्या0 वर्ग-1, जांजगीर	19.12.2018 से 27.12.2018 तक	9 दिन	18.12.2018 से 28.12.2018 के कार्यालयीन समय पूर्व तक।
6	श्री ओ.पी.जायसवाल, व्यवहार न्या0 वर्ग-1 चांपा	26.12.2018 से 29.12.2018 तक	4 दिन	24.12.2018 के न्यायालयीन समय पश्चात् से 31.12.2018 के कार्यालयीन समय पूर्व तक।
7	श्री अगम कुमार कश्यप, व्यवहार न्या0 वर्ग-1, सक्ती	26.12.2018 से 28.12.2018 तक	3 दिन	25.12.2018 से 28.12.2018 तक।
8	श्री जगमोहन शंकर पटेल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, अकलतरा	20.12.2018 से 22.12.2018 तक	3 दिन	20.12.2018 से 23.12.2018 तक।
9	श्री सतीश कुमार खाखा, व्य0न्या0 वर्ग-2 पामगढ़	24.12.2018 से 28.12.2018 तक	5 दिन	23.12.2018 से 28.12.2018 तक।
10	कु0 प्रतिभा मरकाम, व्य0न्याया0 वर्ग-02, मालखरौदा	27.12.2018 से 29.12.2018 तक	3 दिन	26.12.2018 के कार्यालयीन समय पश्चात् से 30.12.2018 तक।
11	श्री भास्कर मिश्र, व्य0न्या0 वर्ग-2 डभरा	19.12.2018 से 20.12.2018 तक	2 दिन	17.12.2018 के कार्यालयीन समय पश्चात् से 21.12.2018 के कार्यालयीन समय पूर्व तक।
12	श्रीमती चन्द्रकला देवी साहू, व्य0न्या0 वर्ग-2, जैजपुर	24.12.2018 से 31.12.2018 तक	8 दिन	23.12.2018 से 31.12.2018 तक।
13	श्री गिरिवर सिंह राजपूत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, जांजगीर	24.12.2018 से 31.12.2018 तक	8 दिन	
14	कु. पायल टोप्पो, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जांजगीर	24.12.2018 से 31.12.2018 तक	8 दिन	23.12.2018 से 31.12.2018 तक।

15	श्री मनोज कुमार कुशवाहा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, जांजगीर	26.12.2018 से 31.12.2018 तक	6 दिन	24.12.2018 के कार्यालयीन समय पश्चात् से 01.01.2019 के कार्यालयीन समय पूर्व तक।
16	कु० किरण पन्ना, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, जांजगीर	26.12.2018 से 31.12.2018 तक	6 दिन	26.12.2018 से 31.12.2018 तक।

टीप:- 1. 5-10 वर्ष तक के लंबित व्यवहार प्रकरणों में उभय पक्षकारों एवं उनके अधिवक्ताओं की सहमति से कार्यवाही की जावेगी।

2. अति आवश्यक प्रकृति के आवेदन पत्रों जैसे आदेश 39 नियम(1)(2)व्य०प्र०स० का निराकरण अवकाश अवधि में रहने वाले न्यायाधीशों के स्थान पर उनके कार्य संपादित करने वाले मुख्यालय में उपस्थित व्यवहार न्यायाधीशों द्वारा किया जा सकेगा।

टीप :- शीतकालीन अवकाश अवधि में जिला मुख्यालय जांजगीर एवं बाह्य मुख्यालयों में उपस्थित रहने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/मजिस्ट्रेटों का विवरण निम्नानुसार है :-

Period	Janjgir		Sakti	
	ADJ	Magistrate	ADJ	Magistrate
19.12.18 to 23.12.18	Ist ADJ III ADJ	CJ-I, Champa CJ-II, Pamgarh	I ADJ	CJ-I, Sakti CJ-II Malkharoda CJ-II, Jaijipur
24.12.2018 to 31.12.2018	Ist ADJ (24.12.18 to 28.12.18)	II CJ-I (28.12.18 to 31.12.18) CJ-I, Akaltara CJ-I, Champa (24 & 31.12.18) CJ-II, Pamgarh (29.12.18 to 31.12.18)	I ADJ (24 & 29.12.18 to 31.12.2018) II ADJ (25.12.18 to 31.12.18)	CJ-I, Sakti (24.12.18) CJ-II, Dabhara CJ-II, Malkharoda (24.12.18 to 26.12.18)

टीप :-

1. जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीशों के शीतकालीन अवकाश में अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा आवश्यक कार्य संपादित किया जावेगा।
2. शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर अर्जित अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. श्री अमित जिंदल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जांजगीर अनिवार्य रूप से दिनांक 29.12.2018 को अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे।

सही/-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर चांपा छ०ग०